

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

बिक्री कर संदर्भ

चीफ जस्टिस हरबंस सिंह और जस्टिस पी. सी. जैन के समक्ष

याचिकाकर्ता - श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़

बनाम

प्रतिवादी - उत्पाद एवं कराधान आयुक्त, यू.टी., चंडीगढ़, आदि,-

1972 का बिक्री कर संदर्भ संख्या 10

27 जुलाई 1973.

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का एक्सएलवीआई) धारा 4 और 11 पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आवेदन करने वाला डीलर, इसके अनुदान से पहले एक लंबी अवधि के लिए लंबित आवेदन, ऐसा डीलर क्या आवेदन के लंबित होने की मध्यवर्ती अवधि के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

माना गया कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948 की धारा 4 में यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि जैसे ही डीलर का सकल कारोबार अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, कर भुगतान की देनदारी उत्पन्न होती है। अधिनियम की धारा 11 केवल एक

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

प्रक्रिया का प्रावधान करती है। यदि कोई डीलर जिसका सकल कारोबार किसी भी समय अनुमेय सीमा से अधिक है, पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, तो वह जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है और धारा की उप-धारा (6) के तहत सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए भी उत्तरदायी है। अधिनियम के 11. हालाँकि, यदि ऐसा कोई डीलर समय पर आवेदन करता है और यह लंबे समय तक लंबित रहता है तो धारा 11 की उपधारा (6) के दंडात्मक परिणाम लागू नहीं होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा डीलर उस अवधि के लिए दायित्व से बच जाता है जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन लंबित रहता है। वह बीच की अवधि के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और अधिनियम की धारा 11 के तहत उसका कानूनी रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है।

30 जून 1971 को पारित आदेश से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए बिक्री कर न्यायाधिकरण, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा इस माननीय न्यायालय को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 22 (1) के तहत संदर्भ बिक्री कर न्यायाधिकरण, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने मूल्यांकन वर्ष 1964-65 के संबंध में 1968 की संशोधन याचिका 5 में :-

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

”मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवेदक का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत किया जा सकता है या नहीं?”

याचिकाकर्ता की ओर से वकील डी. एस. नेहरा, एम. एल. गर्ग और पी. के. बंसल।

प्रतिवादी की ओर से आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता एम. एल. पुरी।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया :-

चीफ जस्टिस हरबंस सिंह - यह पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 22 के तहत एक संदर्भ है, जिसमें इस न्यायालय से निम्नलिखित प्रश्न पर निर्णय देने के लिए कहा गया है :-

”क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर आवेदक का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत किया जा सकता है या नहीं?”

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

इस सन्दर्भ में निर्णय हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार बताये गये हैं :-

(2) फर्म मेसर्स ए दुग्गल एंड कंपनी सेक्टर 18-सी चंडीगढ़ (बाद में निर्धारिती के रूप में संदर्भित) का मुख्य कार्यालय दिल्ली में था जहां से वह माल प्राप्त करती थी और फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भीतर बेचती थी। 20 फरवरी 1964 को निर्धारिती ने अधिनियम के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत होने के लिए अधिनियम की धारा 7(2) के तहत एक आवेदन किया। धारा 7 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि यदि अधिनियम के तहत प्राधिकारी, जिसे पंजीकरण के लिए आवेदन दिया गया है, संतुष्ट है कि यह क्रम में है, तो वह प्राधिकारी "ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसे भुगतान पर" निर्धारित शुल्क के अनुसार आवेदक को पंजीकृत करें और उसे निर्धारित प्रपत्रों में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करें जो धारा 5 का उप-धारा (2) के खंड (ए) के उप-खंड (ii) के प्रयोजन के लिए माल की श्रेणी या वर्गों को निर्दिष्ट कर सकता है।"

(3) अब पंजीकरण के लिए यह आवेदन 16 जून 1965 को स्वीकृत किया गया, हालाँकि कुछ आदेशों में यह तिथि 8 जून 1965 अंकित है। लेकिन इस विसंगति का हमारे उद्देश्यों के लिए शायद ही कोई महत्व है। यह स्वीकृत मामला है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

होने के बाद। 20 जुलाई 1965 को निर्धारिती ने वर्ष 1964-65 से संबंधित सभी चार त्रैमासिक रिटर्न जमा किए और 19,562.36 रुपये की राशि भी जमा की। कर निर्धारण प्राधिकारी ने 26 मई 1967 के अपने आदेश से महसूस किया कि रिटर्न दाखिल करने और पैसा जमा करने में देरी हुई। निर्धारिती की ओर से तर्क दिया गया कि पंजीकरण प्रमाणपत्र देर से प्राप्त होने के कारण त्रैमासिक रिटर्न समय पर जमा नहीं किया जा सका। जाहिर तौर पर इस आधार पर, निर्धारिती जुर्माना लगाने से बचना चाहता था। अन्य बातों के साथ-साथ कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यह कहा गया कि "पंजीकरण प्रमाण पत्र की डिलीवरी के बाद भी डीलर ने छह सप्ताह के बाद रिटर्न दाखिल किया और कर जमा किया।" इस देरी के लिए अधिनियम की धारा 10(6) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना लगाने का यह मामला हमारे सामने नहीं है, हालांकि यह कहा गया था कि निर्धारिती इस जुर्माने को रद्द कराने में अधिनियम के तहत सभी अधिकारियों के समक्ष विफल रहा।

(4) इसके बाद, मूल्यांकन प्राधिकारी ने पाया कि निर्धारिती की खाता बही इस क्रम में थी कि माल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए मुख्य कार्यालय से प्राप्त हुआ था और, "खाता बही के अनुसार सकल बिक्री राशि 6,77,978.28 रुपये थी जो कर सहित हैं"। इन

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

आंकड़ों को सही मान लिया गया. निर्यात के कारण या पंजीकृत डीलरों को की गई बिक्री के कारण कुछ कटौतियों का भी दावा किया गया था। सरकारी विभाग को की गई बिक्री के कारण एक और कटौती का दावा किया गया था। दावा की गई कुछ कटौतियों को अस्वीकार कर दिया गया और परिणामस्वरूप रुपये की अतिरिक्त कर देनदारी बढ़ गई। 524.29 रुपए जुटाए गए। इसमें जुर्माना राशि जोड़ने पर कुल 1,524.29 रुपये की मांग हुई।

(5) उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त और ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील में उठाया गया सवाल यह था कि उस अवधि के लिए कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, जिसके दौरान पंजीकरण के लिए आवेदन अधिकारियों के पास लंबित रहा। अधिनियम की धारा 22 के तहत एक आवेदन किए जाने पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून के बिंदु को निर्णय के लिए इस न्यायालय में भेजा गया है।

(6) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह मामला अधिनियम और नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा क्योंकि वे 1965 में किए गए व्यापक संशोधनों से पहले मौजूद थे यानी प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख के बाद कानून और नियमों में किए

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

गए संशोधन और उस तारीख के बाद जिस दिन दायित्व उत्पन्न हुआ था उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

(7) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान जिनके लिए नोटिस की आवश्यकता होती है, उन्हें अब पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 4 की उप-धारा (1) कुछ प्रावधानों के अधीन प्रदान करती है जिनके लिए प्रत्येक डीलर को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है "जिसका सकल कारोबार इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले वर्ष के दौरान कर योग्य मात्रा से अधिक हो गया है, वह इसके तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।" इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली सभी बिक्री पर अधिनियम।" इस धारा की उप-धारा (2) के अनुसार अन्य सभी डीलर जिन पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उस तारीख के बाद 30 दिनों की समाप्ति पर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। किसी भी वर्ष के दौरान उसका सकल कारोबार सबसे पहले कर योग्य मात्रा से अधिक होता है। 'करयोग्य मात्रा' उपधारा (5) में विस्तृत है और इसे विस्तार से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

(8) अधिनियम की धारा 7 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

“(1) कोई भी डीलर, इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हुए, एक डीलर के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि वह पंजीकृत न हो और उसके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र न हो।

(2) उप-धारा (1) द्वारा पंजीकृत होने के लिए आवश्यक प्रत्येक डीलर को इस संबंध में निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से आवेदन करना होगा।

(3) यदि उक्त प्राधिकारी संतुष्ट है कि पंजीकरण के लिए आवेदन सही है, तो वह ऐसे नियमों के अनुसार और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आवेदक को पंजीकृत करेगा और उसे निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ए) के उप-खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए माल की श्रेणी या श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 10 कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने से संबंधित है। इस धारा की उपधारा(3) इस प्रकार चलती है: -

”(3) ऐसे डीलरों को निर्धारित तरीके से दिए गए नोटिस द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है और प्रत्येक पंजीकृत डीलर को ऐसी

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

तिथियों और ऐसे प्राधिकारी को ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।”

(9) धारा 11 कर के निर्धारण का प्रावधान करती है। उप-धारा (1) (2) और (3) निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं -

”(1) यदि मूल्यांकन प्राधिकारी पंजीकृत डीलर की उपस्थिति या उसके द्वारा किसी भी सबूत के उत्पादन की आवश्यकता के बिना संतुष्ट है कि किसी भी अवधि के संबंध में प्रस्तुत रिटर्न सही और पूर्ण हैं, तो वह इसके आधार पर डीलर से देय कर की राशि रिटर्न मूल्यांकन करेगा।

(2) यदि निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत डीलर की उपस्थिति या साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना संतुष्ट नहीं है कि किसी भी अवधि के संबंध में प्रस्तुत रिटर्न सही और पूर्ण हैं, तो वह ऐसे डीलर को निर्धारित तरीके से एक नोटिस देगा। उसमें निर्दिष्ट तारीख और स्थान पर उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो या कोई सबूत पेश करे या पेश कराए जिस पर ऐसा डीलर ऐसे रिटर्न के समर्थन में भरोसा कर सके।

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

(3) नोटिस में निर्दिष्ट दिन पर या उसके तुरंत बाद, मूल्यांकन प्राधिकारी ऐसे साक्ष्यों को सुनने के बाद, जो डीलर प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे अन्य साक्ष्यों के बाद, जिनकी निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यकता हो सकती है, विक्रेता देय कर की राशि का आकलन करेगा।”

उप-धारा (4) और (5) ऐसे मामले का प्रावधान करते हैं जहां डीलर रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद उप-धारा (2) के तहत नोटिस का पालन करने में विफल रहा या जहां ऐसा डीलर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है। इन दोनों मामलों में मूल्यांकन प्राधिकारी, डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद "अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार" मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। उप-धारा (6) एक पंजीकृत डीलर से संबंधित नहीं है, जो धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, लेकिन पंजीकृत डीलर के अलावा किसी अन्य डीलर से संबंधित नहीं है। इस उप-धारा के तहत "यदि उसके पास आई जानकारी पर, मूल्यांकन प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई भी डीलर किसी भी अवधि के संबंध में इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है", कर निर्धारण

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

प्राधिकारी संबंधित पक्ष को नोटिस देकर अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है और उस पर जुर्माना भी लगा सकता है।

(10) निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का तर्क यह था कि उस अवधि के दौरान जब पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन निर्धारण प्राधिकारी के पास लंबित रहा, उसे "पंजीकृत डीलर" के रूप में नहीं माना जा सकता था और वह एक पंजीकृत डीलर बन गया। केवल 16 जून 1965 को जब उनका आवेदन स्वीकृत हुआ और प्रमाणपत्र जारी किया गया। पंजीकरण प्रमाणपत्र में इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उल्लेख किया गया था कि निर्धारिती का दायित्व 20 फरवरी 1964 से प्रभावी था। यह भी विवादित नहीं है कि लेखांकन अवधि 1964-65 के लिए निर्धारिती द्वारा 20 जुलाई 1965 को रिटर्न दाखिल किया गया था। उन्होंने कर के रूप में 19,562.36 रुपये की राशि भी जमा की जो निर्धारिती द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार देय हो गई। निर्धारिती ने अपनी खाता पुस्तकें भी प्रस्तुत कीं और अन्य बातों के अलावा, यह देखा गया कि सकल बिक्री लगभग 7 लाख रुपये थी "जिसमें कर शामिल है"। दूसरे शब्दों में, यद्यपि 1964-65 के दौरान, जैसा कि निर्धारिती ने कहा था, उसका आवेदन लंबित रहा और वह एक पंजीकृत डीलर नहीं था, फिर भी वह अपने ग्राहकों से बिक्री कर वसूल रहा था।

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

निर्धारिती ने विभिन्न प्रकार की कटौतियों का भी दावा किया जो एक पंजीकृत डीलर को उपलब्ध हैं।

(11) ट्रिब्यूनल के साथ-साथ हमारे सामने भी बिक्री कर आयुक्त, कटक, उड़ीसा बनाम बृजराज रामेश्वर (1) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत भरोसा किया गया था। यह उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा (5) के तहत मामला था, जो काफी हद तक पंजाब अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (6) से मेल खाता था। उड़ीसा अधिनियम के तहत, यह प्रावधान किया गया था कि जहां एक डीलर जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन "फिर भी जानबूझकर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है", तो ऐसा डीलर सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन और दंड के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है।

(12) बृजराज रामेश्वर के मामले में तथ्य यह थे कि निर्धारिती ने डीलर के रूप में पंजीकृत होने के लिए 22 अगस्त 1949 को एक आवेदन किया था और आवेदन में कहा था कि 22 अगस्त 1948 से 21 अगस्त 1949 की अवधि के दौरान उसका सकल कारोबार यानी एक वर्ष आवेदन की तिथि से पहले 5,000 रुपये से अधिक। एक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट

(1) (1966) 17 एस. टी. सी. 295.

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

पर कि निर्धारिती का टर्नओवर 5,000 रुपये से अधिक नहीं था, आवेदन दायर किया गया था लेकिन निर्धारिती को कोई सूचना नहीं भेजी गई थी। 18 दिसंबर 1950 को निर्धारिती ने एक अनुस्मारक भेजकर अधिकारी से 22 अगस्त 1949 के उसके आवेदन के आधार पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया। इस पर निर्धारिती का कानूनी रूप से सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता था, आवेदन रद्द कर दिया गया क्योंकि वह तब नहीं था पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है और उसे पंजीकरण के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके बाद निर्धारिती ने 18 अक्टूबर 1951 को एक और आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उसे 2 नवंबर 1951 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया। एकमात्र सवाल उठाया गया था कि क्या निर्धारिती का धारा 12(5) के तहत सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कानूनी रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। उड़ीसा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (5) के तहत 31 दिसंबर 1950 और 31 मार्च 1951 को समाप्त तिमाहियों के लिए यह माना गया कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर यह स्थापित नहीं हुआ कि निर्धारिती जानबूझकर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा और इसलिए मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

(13) इस निर्णय का स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत किए गए सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का कोई सवाल ही नहीं है। यहां मूल्यांकन धारा 11 की उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के तहत किया गया है। उप-धारा (1) के तहत निर्धारिती द्वारा एक रिटर्न दाखिल किया गया था और जिस तारीख को रिटर्न दाखिल किया गया था, वह वास्तव में एक 'पंजीकृत डीलर' था क्योंकि रिटर्न दाखिल करने की तारीख से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था। पहले ही जारी किया जा चुका था और निर्धारिती की स्थिति केवल 'डीलर' की नहीं बल्कि 'पंजीकृत डीलर' की थी।

(14) निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या केवल इसलिए कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन लंबे समय तक लंबित रहता है, एक 'डीलर', जो बाद में 'पंजीकृत डीलर' बन गया है, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उस मध्यवर्ती अवधि के लिए जिसके दौरान आवेदन लंबित रहता है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) की शब्दावली अजीब है। इसके अनुसार जैसे ही डीलर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है क्योंकि उसका टर्नओवर धारा 4 में प्रदान की गई मात्रा से अधिक हो जाता है, उसे अपना व्यवसाय बंद कर देना चाहिए क्योंकि

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

उसे "पंजीकृत" नहीं कहा जा सकता है और उसके पास "पंजीकरण प्रमाणपत्र" नहीं है। सबसे अच्छा तो यह है कि वह उसी क्षण आवेदन दायर कर सकता है जब उसे पता चले कि पिछले वर्ष के दौरान उसका सकल कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है, लेकिन आवेदन दाखिल करने और उसे मंजूरी देने के बीच आवश्यक रूप से समय-अंतराल होना चाहिए क्योंकि संबंधित प्राधिकारी को ऐसा करना होगा। मामले की पूछताछ करें। मौजूदा कानून में यह प्रावधान नहीं है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस आ सकता है और किसी भी मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होने पर यदि कोई डीलर अपना व्यवसाय जारी रखता है तो वह धारा 7 की उप-धारा (1) का उल्लंघन करेगा।

(15) एक और बात है, उस अवधि के दौरान जब आवेदन लंबित रहता है, 'डीलर' एक अपंजीकृत डीलर होने के नाते उसके द्वारा की गई सभी खरीद पर बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है और यह सख्ती से आग्रह किया गया था कि वह कोई बिक्री-कर नहीं ले सकता है। किसी से भी नहीं क्योंकि वह 'पंजीकृत डीलर' नहीं है। एक 'पंजीकृत व्यापारी' के रूप में वह पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित वस्तुओं के वर्ग या वर्ग के लिए अपना पंजीकरण नंबर आदि देकर खरीदारी कर सकता है और वह 'पंजीकृत' के अलावा अन्य व्यक्तियों को की गई बिक्री के लिए बिक्री-कर भी ले

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

सकता है। डीलरों'। हालाँकि, ये सभी मामले हैं/जो इस/न्यायालय को संदर्भित संक्षिप्त प्रश्न के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं हैं। ये ऐसे मामले हैं जिन पर मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उस अवधि के लिए निर्धारिती की देनदारी तय करने में विचार किया जा सकता है जिसके दौरान आवेदन लंबित रहा था। यदि निर्धारिती यह दिखाने में सक्षम होगा कि प्रश्न की अवधि के दौरान वह बिक्री-कर नहीं ले सका/विभाग द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने में विफलता के कारण/या कि उसे भुगतान पर सामान खरीदने का खर्च वहन करना पड़ा। बिक्री-कर जिसके बदले में उसे अपने क्रेताओं से प्राप्त परिणामी राहत उसे स्वीकार्य हो सकती है। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है वह हमारे सामने कोई मामला नहीं है। जाहिर है, इस मामले में ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई थी और यह निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष कहा गया था और वास्तव में निर्धारण प्राधिकारी के आदेश से, जिसका हिस्सा ऊपर उद्धृत किया गया है, यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती को दिल्ली में अपने मुख्य कार्यालय से माल मिला था और वह रिटर्न में दिखाई गई बिक्री की सकल राशि और कर में बिक्री-कर शामिल है।

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

(16) बिहार के वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाम भागलपुर के शारदा ऑटोमोबाइल्स (2), (पटना उच्च न्यायालय के फैसले) में, आवेदन की तारीख और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के बीच काफी समय-अंतराल था। विभाग और निर्धारिती के बीच कुछ विवाद था कि क्या 16 नवंबर 1956 से 14 मई 1957 तक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने में यह देरी निर्धारिती की ओर से किसी गलती या लापरवाही के कारण थी। अधीनस्थ प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह निर्धारिती की गलती थी, लेकिन वाणिज्यिक कर आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह देरी निर्धारिती की गलती या लापरवाही के कारण नहीं थी और परिणामस्वरूप उन्होंने निर्देश दिया कि पुनर्विक्रय के लिए इच्छित माल के लिए निर्धारिती द्वारा अपने विक्रेताओं को भुगतान किए गए बिक्री-कर का प्रतिनिधित्व करने वाले 29.95 रुपये को बाद की अवधि के लिए देय बिक्री-कर में समायोजित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या निर्धारिती को 3 नवंबर, 1956 और 14 मई के बीच की गई बिक्री के लेनदेन पर बिक्री-कर के लिए मूल्यांकन किया जाना था। 1957”, मामला अतिरिक्त सदस्य, राजस्व बोर्ड के पास ले जाया गया और यह तर्क कि अधिनियम की धारा 15-ए के आधार पर बिक्री-कर के

(2) (1968) 22 एस. टी. सी. 137.

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

भुगतान से छूट दी जा सकती है, उनके द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि "धारा 15-ए लागू होती है डीलर द्वारा अपने विक्रेताओं से की गई खरीदारी और उसके द्वारा अन्य ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए बिक्री-कर के भुगतान से इसका कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि, उन्होंने माना कि बिक्री-कर का भुगतान करने का दायित्व 3 नवंबर 1956 से पूर्वव्यापी रूप से तय नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि केवल उस तारीख से तय किया जाना चाहिए था जिस दिन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था और फिर उन्होंने निम्नलिखित निर्देश दिए :-

"ऊपर दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं निर्देश दूंगा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख वह तारीख होनी चाहिए जिस दिन बिक्री-कर के भुगतान की देनदारी प्रभावी होनी चाहिए।"

अब बिहार बिक्री कर अधिनियम 1947 की धारा 14-ए ऐसे डीलर को कर के रूप में किसी भी राशि की वसूली करने से रोकती है जो पंजीकृत नहीं है। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सदस्य राजस्व बोर्ड ने निर्देश दिया कि यदि डीलर ने अधिनियम की धारा 14-ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

है। जैसा कि पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने टिप्पणी की थी, "इस बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया था कि क्या कानून के प्रस्ताव के रूप में... बिक्री के दायित्व की तारीख तय करना अवैध होगा।" -वास्तविक पंजीकरण की तारीख से पहले की तारीख से कर या अन्यथा, जहां औचित्य के प्रश्न पर उन्होंने संशोधन में आयुक्त के निष्कर्ष के मद्देनजर माना कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने में डीलर की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी और धारा 15-ए के तहत उन्हें राहत देते हुए, पंजीकरण की वास्तविक तारीख से पहले किसी भी तारीख से निर्धारित पर बिक्री-कर के लिए दायित्व तय करना उचित नहीं था। सदस्य राजस्व बोर्ड द्वारा संदर्भित तीन प्रश्न इस प्रकार थे :-

(1) क्या बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के लिए डीलर का दायित्व उस तारीख से शुरू होता है जिस दिन ऐसी देनदारी अर्जित होती है या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की तारीख से निर्धारित होती है?

(2) क्या अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 14-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि अधिनियम की धारा 4 के तहत दायित्व

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

की तिथि को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तिथि में स्थानांतरित किया जा सके
?

(3) क्या अधिनियम के तहत किसी डीलर द्वारा कर का भुगतान उसके कर की प्राप्ति
पर निर्भर है?

(17) इन सवालों पर बेंच द्वारा दिया गया जवाब इस प्रकार था :-

(1) अधिनियम की धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के लिए डीलर का दायित्व
निस्संदेह उस तारीख से शुरू होता है जिस दिन वह दायित्व अर्जित हुआ था और यदि
डीलर एक अपंजीकृत डीलर था तो उस तिथि से बिक्री-कर का निर्धारण किया जा
सकता था, लेकिन यदि वह बन गया मूल्यांकन की तिथि पर एक पंजीकृत व्यापारी, तो
पंजीकरण के लिए उसके आवेदन की तिथि से लेकर प्रमाण पत्र के वास्तविक अनुदान
की तिथि तक की अवधि के लिए उसका मूल्यांकन धारा 13 की उप-धारा (5) में
निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

(2) प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में शामिल है।

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

(3) किसी डीलर द्वारा कर का भुगतान सामान्यतः उसके द्वारा कर वसूल किये जाने पर निर्भर नहीं होगा। लेकिन यदि उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र देने में बिक्री कर विभाग की ओर से देरी के कारण कर वसूलने से रोका जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी के पास देरी की अवधि के लिए उस पर कर नहीं लगाने का विवेक है।

(18) उपरोक्त से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कर के भुगतान की देनदारी तब उत्पन्न होती है जब किसी डीलर का सकल कारोबार अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है। यह पंजाब अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, धारा 11 केवल एक प्रक्रिया प्रदान करती है। यदि ऐसा कोई डीलर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है तो वह जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है और धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार मूल्यांकन भी किया जाएगा। हालाँकि, यदि डीलर समय पर आवेदन करता है, तो उप-धारा (6) के दंडात्मक परिणाम लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह उस अवधि के लिए दायित्व से बच जाएगा जिसके लिए आवेदन लंबित है। कानून में उसे ऐसी छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(19) क्या, उस अवधि के लिए, जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन लंबित है, निर्धारित किसी राहत का हकदार है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों द्वारा शासित

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

होगा। जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा देखा गया था, संबंधित प्राधिकारी उन बाधाओं पर विचार कर सकता है जो आवेदन लंबित रहने और पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण डीलर को हुई होंगी। निर्धारिती, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विलंब की अवधि के लिए उस पर कर का निर्धारण नहीं करेगा। यह वही बात नहीं है, जैसा कि निर्धारिती के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि कानूनी प्रस्ताव के रूप में एक डीलर जो पंजीकृत है, उस अवधि के लिए कर का निर्धारण नहीं किया जा सकता है जिसके दौरान आवेदन लंबित रहा था। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के तथ्य पर ध्यान दिए बिना भुगतान करने का उसका दायित्व उत्पन्न होता है। यदि पंजीकरण के लिए उसका आवेदन लंबित है, तो अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के बावजूद, कोई दंडात्मक परिणाम नहीं हो सकता है यदि वह प्रमाण पत्र के बिना व्यवसाय जारी रखता है क्योंकि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। बिना किसी गलती के प्रमाण पत्र प्राप्त करें। धारा 11 केवल प्रक्रियात्मक है और उप-धारा (1), (2) और (3) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का वर्तमान मामले में सही ढंग से पालन किया गया था क्योंकि रिटर्न दाखिल करने की तारीख पर निर्धारिती को एक नोटिस

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

दिया गया था। खातों को प्रस्तुत करने के लिए और जिस तारीख को खातों को प्रस्तुत किया गया था और मूल्यांकन किया गया था उस तारीख को भी निर्धारिती एक 'पंजीकृत डीलर' था।

(20) हमने जो दृष्टिकोण ऊपर रखा है, उसके आलोक में सेंट्रल पॉटरीज़ लिमिटेड नागपुर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (3) के फैसले का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, जिस पर ट्रिब्यूनल द्वारा भरोसा किया गया था। उस मामले में अपीलकर्ता, जो एक डीलर के रूप में पंजीकृत था, 1 जून 1947 से 30 जून 1951 की अवधि के लिए उस पर निर्धारित कर का भुगतान करता रहा। इसके बाद अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने वाला बिक्री कर अधिकारी ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था। अधिनियम के तहत और परिणामस्वरूप कर के सभी आकलन और वसूली अवैध और शून्य थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा :-

“(1) कि अपीलकर्ता अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था,

(3) (1962) 13 एस. टी. सी. 472.

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

भले ही धारा 8 के तहत पंजीकरण वैध था या नहीं। वह दायित्व धारा 4 के अंतर्गत उत्पन्न हुआ। जो कि चार्जिंग सेक्शन था और यह सेक्शन 8 के तहत डीलर के पंजीकरण पर सशर्त नहीं था;

(2) भले ही धारा 8 के तहत अपीलकर्ता का डीलर के रूप में पंजीकरण खराब था, लेकिन अधिनियम के तहत उसके खिलाफ की गई कार्यवाही की वैधता और उसके तहत किए गए कर के आकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(21) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निश्चित रूप से मानते हैं कि निर्धारिती का दायित्व पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने पर निर्भर नहीं था और यह अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत उत्पन्न हुआ था। जैसे ही उसका सकल कारोबार तय सीमा से अधिक हो गया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह देनदारी 20 फरवरी 1964 से उत्पन्न हुई थी। पंजीकरण प्रमाणपत्र हालांकि 16 जून 1965 को जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि देनदारी 20 फरवरी 1964 से उत्पन्न हुई थी। रिटर्न दाखिल करते समय और मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष मामला पेश करते समय निर्धारिती की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

में देरी से उस पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। न ही निर्धारिती ने उस आधार पर कोई राहत दिए जाने की प्रार्थना की। उनका मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) (2) और (3) के तहत किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने उस समय रिटर्न दाखिल किया था जब वह एक 'पंजीकृत डीलर' थे। इसलिए हम संदर्भित प्रश्न का उत्तर हां में देते हैं। विभाग इन कार्यवाहियों की लागत निर्धारिती से वसूल करेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंकिता महाजन

श्रीमान / श्रीमती ए. दुग्गल एंड कंपनी, चंडीगढ़ बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, यू. टी. चंडीगढ़, आदि
(जस्टिस हरबंस सिंह)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा